

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीटासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 195/2021

गुरमीत सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. रछपाल सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. प्रकाश कौर पुत्री दरबारा सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया।
3. सुन्दरजीत सिंह पुत्र रछपाल सिंह जाति जटसिख गांव भिन्डा पंजाब तहसील लम्बी पंजाब।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया
5. साखी प्रबंधक एसबीआई सादुलशहर।

प्रतिवादीगण

राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इतिहास कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुशील कुमार वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री देवेन्द्र सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व मोहित चुघ वकील प्रति0सं0 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 24 ए.एम. पी. के खाता संख्या 67/56 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 एव चक 25/1 के खाता संख्या 118/89 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 रछपाल सिंह पुत्र दरबारा सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी गुरमीत सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जांकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज...... नल...... मुब्लिक...... निल...... बाबत...... निल...... खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......

अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.8.2021 को जारी

किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया